न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 89 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. टीपू बेवा चेतनराम	बनाम	1.निम्बा पुत्र हेमा फौत के कायम मुकाम
2. जोराराम पुत्र चेतनराम		1/1ठाकराराम पुत्र निम्बाराम उम्र 50 वर्ष
3. हनुमान पुत्र चेतनराम जाति		1/2राजों बेवा निम्बाराम उम्र 65 वर्ष
जाट निवासी मातासर,		2.हनुमान पुत्र हेमा जाति जाट निवासी
भूरटिया तहसील बाड़मेर।		मातासर, भूरटिया तहसील बाड़मेर।
		3.तहसीलदार, बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 152 / 2007 बअनवान नीम्बा बनाम जोराराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 08.05.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा वक्त सेटलमेंट में वर्तमान गांव मातासर(भूरटिया) में पैतृक खेत खसरा संख्या 347 रकबा 189.10 बीघा का पर्चा लगान अपीलांटगण के पिता चेतन व दाऊ, प्रहलाद व प्रभू पुत्र भैरा के नाम जारी हुआ, उसके बाद अपीलांटगण के कर्ताखानदान व उसके फौत होने पर अपीलांटगण व चाचा प्रभू के वारिसों के खेत खसरा संख्या 347 का विभाजन करवा कर खेत खसरा संख्या 347 / 1 रकबा 63.01 बीघा का अमल से राजस्व दस्तावेजों में अमल दरामद करवा लिया तथा प्रहलाद को मौजा छितर का पार तथा अपीलांटगण को खसरा संख्या 347 रकबा 126.09 बीघा का अलग राजस्व दस्तावेजों में कब्जा काश्त के अनुसार वर्तमान में वैध खातेदार चले आ रहे है। वर्ष 1968 में अपंजीबद्ध बेचान चेतन प्रभू के तथाकथित दस्तावेज से 40 साल बाद सक्षम न्यायालय घोषणा का दावा किया और अपीलांटगण के वकील की मृत्यु के बाद बिना सुनवाई दस्तावेजी सबूतों के अभाव में निर्णय व डिक्री जारी की वो अपीलांटगण के लिये बेअसर होने से प्रभावहीन होने से निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 347 रकबा 126.09 बीघा के रिकार्डेड खातेदार होने के उपरान्त उसे बिना सुने लोक अदालत की भावना के खिलाफ एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है लोक अदालत की भावना निर्णय हेतु कोई राजीनामा तहत प्रस्तुत नहीं हुआ। वादगस्त भूमि खेत खसरा संख्या 347 में 08 बीघा भूमि का तथाकथित बेचान अपंजीबद्ध होने से रेस्पोडेंट को बेचान विधि से वैध नहीं है। रेस्पोडेंटगण निर्णय सिविल न्यायालय से हक हकूक की घोषणा के बाद ही राजस्व न्यायालय में घोषणा का दावा लाने के वैध अधिकारी है तथाकथित बेचान के आधार पर राजस्व न्यायालय में रेस्पोडेंटगण दावा लाने के क्षेत्राधिकार में नहीं है। रेस्पाडेंट/वादीगण ने अपने दावे को सिद्ध कराने के लिए किसी साक्षी के बयान नहीं कराए न अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्शित करवाया है। बेचाननामा साक्ष्य के अभाव में दस्तावेजों को प्रदर्शित नहीं होने से विधि व न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांटगण के खिलाफ नहीं पढे जा सकते। रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा पेश दावे में आश्यक पक्षकारों का संयोजन नहीं किया गया है जिससे दावा चलने लायक भी नहीं है। इसके उपरान्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना होने से अपीलांटगण को नाजायज नुकसान पहुंचाने के लिये एकतरफा विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2015(2) Page 1410
RRT 2014(2) Page 1356
RRT 2019(1) Page 332 S.C.

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली समुचित सुनवाई हेतु रिमाण्ड की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त 08 बीघा आराजी पर सेटलमेंट से आज तक रेस्पोडेंट/वादीगण का कब्जा है। उक्त भूमि रेस्पोडेंट के कब्जे में होने से दिनांक 16.08.1968 को रेस्पोडेंट के पक्ष में अपीलांटगण के पिता चेतनराम व प्रभुराम द्वारा 90 रू में बेचान कर दिया गया। उक्त बेचान 90 रू का था और काश्तकारी अधिनियम व भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधान अनुसार 100 रू से कम कीमत के स्टाम्प की रजिस्ट्री करवाना आवश्यक नहीं था। उक्त बेचान की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तस्दीक तत्कालीन सरपंच श्री बस्तीराम द्वारा साख के रूप में की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि रेस्पोडेंट/वादीगण ने अपने कथन कि मौजा वक्त सेटलमेंट में वर्तमान गांव मातासर(भूरटिया) में पैतृक खेत खसरा संख्या 347 रकबा 189.10 बीघा का पर्चा लगान अपीलांटगण के पिता चेतन व दाऊ, प्रहलाद व प्रभू पुत्र भैरा के नाम जारी हुआ, के समर्थन में कोई पर्चा लगान संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय में दावा मूल खसरा संख्या 347 रकबा 189.10 बीघा का प्रस्तुत किया है लेकिन उसके विभाजन से पृथक हुए खसरों के खातेदारों को पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया गया है। आवश्यक पक्षकार का असंयोजन दावे के समग्र रूप से गुणावगुण पर निस्तारण में बाधाक है। इसी तरह भूमिधारी तहसीलदार को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। पत्रावली पर जबावदावा प्रस्तुत हो जाने के बाद मामले में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य–सबूत के पश्चात ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित होता है परन्तु अपीलाधीन निर्णय में इस प्रक्रिया का उल्लंघन कर सीधे ही निर्णय पारित कर दिया जो विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त विवेचन के आलोक में मामले को रिमाण्ड करना उचित होगा।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 152/2007 बअनवान नीम्बा बनाम जोराराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत का पूर्ण अवसर दिया जाकर बाद तनकीयात कायमी के गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner